अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1.केसर पुत्र स्व. छोटया
जाति जाट निवासी
दामोदरपुरा तह. बस्सी।

बनाम

1. भौरीलाल पुत्र मूलचन्द
2. जयनारायण पुत्र मूलचन्द
3. जगदीश पुत्र प्रभात
4. नाथू पुत्र रामनाथ
5. तेज्या पिसर मुतबन्ना रामसुखा
6. प्रभु पुत्र मोती
7. कैली पत्नि मोती
8. रामलाल पुत्र मोती
9. रामप्रसाद पुत्र मोती
   समस्त जाति जाट निवासी दामोदरपुरा तह. बस्सी।
10. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा काल्यावास तह. बस्सी।
11. तहसीलदार बस्सी।
12. उपपंजीयक बस्सी।

दावा बाबत घोषणा,इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 05.04.2018

मुकदमा नम्बर 73/11

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी का अपने वाद पत्र के कथनो को दौहराते हुए कथन है कि वादी की ओर से एक वाद पत्र न्यायालय के समक्ष बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 107 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 141 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 211 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 212 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 256 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 270 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 44 बीघा 15 बिस्वा ग्राम दामोदरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 313/1 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 316 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा ग्राम विराजपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है। विवादग्रस्त आराजी घासी एवं जीवण की खातेदारी की आराजी है जीवण लाऔलाद बिना औरत फोत हुए है इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी का एकमात्र खातेदार काश्तकार घासी हुआ। घासी के

Contd--2

पॉच पुत्र हुए कमशः काना, रामसुखा, रामनाथ, छोटया, भूरा वादी छोटया का पुत्र है। विवादग्रस्त आराजी एकीकरण के राजस्व रिकार्ड के अनुसार काना, रामसुखा, रामनाथ, छोटया व भूरा पिसरान घासी की खातेदारी में दर्ज थी। घासी की मृत्यु के पश्चात विवादग्रस्त आराजी में उसके उत्तराधिकारी पांचो पुत्रो के बराबर बराबर हिस्सा निहित था लेकिन प्रतिवादीगण ने राजस्व कारकुनानो से साजकर अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड के विपरित गलत दर्ज करा लिया जबकि ग्राम विराजपुरा की आराजी में राजस्व कर्मचारियो ने जीवण का नामान्तकरण काना के 1/3 हिस्से का दर्ज कर दिया जबकि काना घासी का पुत्र है ना कि जीवण का। जीवण के कोई संतान नही थी वह लाऔलाद फोत हुआ है। उक्त सम्पूर्ण आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा निहित है लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा की गई गलती से पक्षकारो के मध्य तनाजा उत्पन्न हो गया है और वे राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर वादी को उसके कब्जेशुदा 1/5 हिस्से की खातेदारी की आराजी से महरूम व बेदखल कर देना चाहते है। दिनांक 25.06.2011 को प्रतिवादी सं 1 लगायत 3 मौके पर आये और वादी से तनाजा उत्पन्न किया उक्त वाक्या की वजह से वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी केसर के बयान करवाये गये तथा वाद पत्र के साथ जमा प्रमांणित प्रतिलिपि ग्राम दामोदरपुरा तहसील बस्सी सम्वत 2066–69 प्रदर्श पी–1 तथा प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम विराजपुरा तहसील बस्सी सम्वत 2064–67 प्रदर्श पी–2 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2042–45 ग्राम दामोदरपुरा प्रदर्श पी–3 तथा मूल प्रति पासबुक से मिलान कराकर प्रति पासबुक कृषि एकीकरण बन्दोबस्त अवधि 2015 से 34 ग्राम दामोदरपुरा प्रदर्श पी–4 व प्रमाणित प्रतिलिपित जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 ग्राम विराजपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर प्रदर्श पी–5 प्रस्तुत की तथा साक्ष्य के रूप में नाथू उर्फ नानू पुत्र रामनाथ का शपथ पत्र पेश किया, उक्त साक्ष्य जो कि स्वयं उक्त वाद में प्रतिवादी सं 4 के रूप में दर्ज है जिसमें वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यो को सही मानते हुए वाद पत्र के तथ्यो के स्वीकारोक्ती की है।

Contd--3

यह कि उक्त वाद पत्र में प्रतिवादीगण के नोटिस जारी किये गये जिसमें प्रतिवादी सं 1 लगायत 3 न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। काफी अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत नही किये जाने पर प्रतिवादीगण का वादोत्तर बन्द किया गया। इसके उपरांत प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र 151 के साथ वादोत्तर प्रस्तुत किया गया, लेकिन न्यायालय मे सम्यक रूप से उपस्थित नही होने के कारण तथा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पैरवी सम्यक रूप से न करने के परिणाम स्वरूप प्रतिवादीगण का वादोत्तर रिकार्ड पर नही लिया जा सका और ना ही प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादोत्तर को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत किसी भी प्रकार से न्यायालय के समक्ष कोई चाराजोही की गई और ना ही उक्त वादोत्तर के साथ अपने वादोत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की गई तथा न्यायालय द्वारा उक्त जवाब वादोत्तर को रिकार्ड पर न लिये जाने के आदेश को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही कराया गया अर्थात उक्त वादोत्तर प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 3 का किसी भी प्रकार से प्रकरण के निस्तारण के लिए पढे जाने योग्य नही है। दौराने बहस वादी अधिवक्ता का कथन रहा कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत 2042 से 45 प्रदर्श पी–3 है काना का नाम बहैसियत पुत्र घासी दर्ज है जबकि प्रदर्श पी–5 में सम्वत 2035 से 38 की जमाबंदी में काना का नाम पिसर मुतम्बना जीवण की हैसियत से दर्ज है जो सरासर गलत है एक व्यक्ति दो स्वरूप में किसी भी प्रकार से खातेदारी प्राप्त नही कर सकता अर्थात पी–3 में काना अपने मूल पिता घासी के खातेदारी आराजी प्राप्त कर रहा है जबकि प्रदर्श पी–5 में जीवण के दत्तक पुत्र के रूप मे उक्त आराजी को प्राप्त कर रहा है अर्थात जीवण के दत्तक पुत्र के रूप में जो इन्द्राजात किये गये है जो सरासर गलत है जीवण ने कभी किसी को गोद नही लिया जीवण लाऔलाद बिना औरत फोत हुआ है। राजस्व कारकुनानो की गलती का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 उक्त आराजी में अपना 1/3 हिस्सा मानने लगे जबकि उक्त आशय का उन्हे किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया बहस वादी पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी घासी की खातेदारी की आराजी थी जिसके

Contd--4

पॉच पुत्र हुए यह निर्विवादित है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दो गवाहो के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है तथा प्रतिवादी सं 1 लगायत 3 द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत किया गया है जो हालांकि रिकार्ड पर नही है लेकिन न्यायालय के समक्ष पत्रावली में मौजुद रहने के कारण उक्त वादोत्तर का भी सरसरी तौर पर अध्ययन किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी सं 1 लगायत 3 का यह कथन है कि वे उक्त आराजी पर 1/3 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है तथा उक्त आराजी में अपने अधिकारो बाबत एडवर्स पजेशन के तथ्य का भी उल्लेख कर रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में हो रहे अंकन को सही कह रहे है। उक्त वाद पत्र में इनका यह भी कथन है कि प्रतिवादी सं 1 लगायत 3 का पूर्व हक अधिकारी काना, जीवण के गोद चला गया था, लेकिन अपने वाद पत्र के समर्थन में उन्होने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रतीत हो कि उक्त आराजी पूर्व में जीवण की खातेदारी की आराजी ही रही हो और ना ही अपने वादोत्तर के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि काना जीवण के यहा गोद गया था। और ना ही प्रतिवादीगण द्वारा यह कही भी स्पष्ट नही किया गया है कि वे किस प्रकार प्रदर्श पी–4 में वर्णित भूमि बहैसियत काना पुत्र घासी प्राप्त कर रहे है जबकि प्रदर्श पी–5 में वर्णित भूमि बहैसियत काना पिसर मुतबन्ना जीवण प्राप्त कर रहे है। उक्त दोनो दस्तावेजात एक दूसरे के विरोधाभाषी है जो वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं दस्तावेजो का स्पष्ट रूप से समर्थन करते है। उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहान से वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण साबित है। वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा वादी को आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 107 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 141 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 211 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 212 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 256 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 270 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 44 बीघा 15 बिस्वा ग्राम दामोदरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर एवं आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा

Contd--5

3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 313/1 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 316 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा ग्राम विराजपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर का हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के 1/5 हिस्से में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करे, ना ही किसी अन्य से करावे। इस आशय का पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.4.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. केसर पुत्र स्व. छोटया
जाति जाट निवासी
दामोदरपुरा तह. बस्सी।

बनाम

1. भौरीलाल पुत्र मूलचन्द
2. जयनारायण पुत्र मूलचन्द
3. जगदीश पुत्र प्रभात
4. नाथू पुत्र रामनाथ
5. तेज्या पिसर मुतबन्ना रामसुखा
6. प्रभु पुत्र मोती
7. कैली पत्नि मोती
8. रामलाल पुत्र मोती
9. रामप्रसाद पुत्र मोती
समस्त जाति जाट निवासी दामोदरपुरा तह. बस्सी।
10. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा काल्यावास तह. बस्सी।
11. तहसीलदार बस्सी।
12. उपपंजीयक बस्सी।

दावा बाबत घोषणा,इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 73/11 दिनांक 05.04.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 107 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 141 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 211 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 212 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 256 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 270 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 44 बीघा 15 बिस्वा ग्राम दामोदरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर एवं आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 313/1 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 316 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा ग्राम विराजपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर का हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के 1/5 हिस्से में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करे, ना ही किसी अन्य से करावे।.....निजी.....मुबलिक..... .बाबत.....खर्चा..... इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 05.04.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त..... 5.4.18

ओहदा.....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		

Contd--2

स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी